[2020] 11 एस. सी. आर. 865

श्री राम साहू (मृत) एल. आर. एस. के माध्यम से।

वी.

विनोद कुमार रावत और ओआरएस।

(2020 की सिविल अपील संख्या 3601)

नवंबर 03,2020

[अशोक भूषण और एम. आर. शाह, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - s.114 और या। 47 , आर. 1 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की समीक्षा

अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादियों के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया-मूल प्रतिवादी द्वारा निष्पादित दिनांकित 25.03.1995 पंजीकृत बिक्री विलेख की घोषणा के लिए मूल प्रतिवादी। 3 मूल प्रतिवादी संख्या के पक्ष में। 1 & 2 किसी सदन को शून्य और प्रतिवादी संख्या के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के लिए। 1 & 2 उन्हें विवादित संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने से रोकना-मुकदमा निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था-पीड़ित, वादी ने पहली अपील दायर की-पहली अपील के लंबित रहने के दौरान,

प्रतिवादी नं. 1 - उत्तरदाता नं। 1 अपील खारिज करने और अपीलार्थी-वादी को संपत्ति खाली करने के निर्देश के लिए एक आवेदन दायर किया-अपीलार्थी-वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने और प्रतिवादी संख्या को रोकने के संबंध में राहत में संशोधन की मांग की। 1 और 2 वादियों को विवादित सदन से जबरन बेदखल करने से-उच्च न्यायालय ने विलंब और विलंब के आधार पर उक्त आवेदन को खारिज कर दिया, हालांकि, अपीलकर्ताओं को एक अलग मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने मुकदमा खारिज कर दिया-हालाँकि, अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने भी विवादित सदन के कब्जे के संबंध में टिप्पणियां कीं। विवादित सदन और पी. डब्ल्यू. आई. और पी. डब्ल्यू. 2 के बयान के विश्लेषण और अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने और इस तथ्य पर विचार करने पर कि अपील के लंबित रहने के दौरान मूल प्रतिवादी नं. 1 स्वयं विवादित घर के वादी से कब्जा प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे वापस ले लिया गया, उच्च न्यायालय ने वादी के कब्जे के संबंध में टिप्पणियां कीं

विवादित सदन-प्रथम अपील में उच्च न्यायालय के फैसले के लगभग 2 साल बाद, प्रतिवादी संख्या। 1 & 2 - प्रतिवादी सं। 1 & 2 फैसले के पैरा 20 में कब्जे के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा की गई उक्त टिप्पणी की समीक्षा की मांग की-उच्च न्यायालय

अदालत ने समीक्षा आवेदन को स्वीकार कर लिया और पैरा 20 को हटाने का आदेश दिया।

पीड़ित प्रथम अपील में पारित 10.12.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश के मूल वादी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी-आयोजितः उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से न्यायालय यू/ओआर में निहित अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। 47 नियम 1 सी. पी. सी.-जैसा कि परिकल्पना की गई है वैसा कोई आधार नहीं है। 47 नियम 1 सी. पी. सी. को पैरा 20 में की गई टिप्पणियों की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था-यह ध्यान देने की आवश्यकता है और जैसा कि पैरा 20 से स्पष्ट है, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर वादी के कब्जे के संबंध में पैरा 20 में टिप्पणियां कीं, विशेष रूप से वादी का बयान।

(पीडब्लू1) और उसके गवाह (पीडब्लू2) और साक्ष्य के मूल्यांकन पर, उच्च न्यायालय ने पाया कि वादी उक्त घर के वास्तविक कब्जे में है-इसलिए, जब वादी के कब्जे के संबंध में अवलोकन रिकॉर्ड पर साक्ष्य/सामग्री के मूल्यांकन पर किया गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई स्पष्ट त्रुटि थी

जिन कार्यवाहियों की समीक्षा करने की आवश्यकता थी

यू/या शक्तियों का प्रयोग। 47 नियम 1 सी. पी. सी.-इस प्रकार, उच्च न्यायालय समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पर्याप्त और उचित कारणों के बिना अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा नहीं कर सकता था।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - s.114 और Or.47, आर. 1-समीक्षा की शक्ति-आयोजितः एस के नंगे पढ़ने से। 114 सी. पी. सी., ऐसा प्रतीत होता है

कि समीक्षा की उक्त मूल शक्ति यू / सी. पी. सी. ने समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में पूर्ववर्ती शर्त के रूप में कोई शर्त नहीं रखी है और न ही उक्त धारा ने अपने निर्णय की समीक्षा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए न्यायालय पर कोई प्रतिबंध लगाया है-हालाँकि, एक आदेश की समीक्षा केवल निर्धारित आधारों पर ही न्यायालय द्वारा की जा सकती है।

ओर में उल्लिखित है। 47 आर. 1 सी. पी. सी.-समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग एक अंतर्निहित शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता है और न ही समीक्षा की शक्ति की आड़ में एक अपीलीय शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

1 को पकड़ें। समीक्षा के दायरे की सराहना करने के लिए, इस न्यायालय के लिए धारा के उद्देश्य और दायरे पर चर्चा करना उचित होगा।

114 सी. पी. सी. उसी के रूप में समीक्षा के लिए एक ठोस प्रावधान है जब कोई व्यक्ति खुद को एक डिक्री या द्वारा व्यथित मानता है।

न्यायालय का कोई आदेश जिससे अपील की अनुमति दी जाती है लेकिन कोई अपील नहीं की जाती है या जहां किसी आदेश और डिक्री के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है, वह डिक्री या आदेश की समीक्षा के लिए श्री राम साहू (मृत) थ्रू एलआरएस के रूप में आवेदन कर सकता है।

वी. विनोद कुमार रावत

मामला न्यायालय में हो सकता है, जो आदेश दे सकता है या डिक्री पारित कर सकता है। धारा 114 सी. पी. सी. के खाली पढ़ने से, यह प्रतीत होता है कि धारा 114 सी. पी. सी. के तहत समीक्षा की उक्त मूल शक्ति ने समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में पूर्ववर्ती शर्त के रूप में कोई शर्त नहीं रखी है और न ही उक्त धारा ने न्यायालय पर अपने निर्णय की समीक्षा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई निषेध लगाया है। हालांकि, एक आदेश की अदालत द्वारा केवल निर्धारित पर ही समीक्षा की जा सकती है।

आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. में उल्लिखित आधार, जिन पर यहाँ ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। पुनरीक्षण के लिए आवेदन अपील की तुलना में अधिक प्रतिबंधित है और पुनरीक्षण न्यायालय के पास आदेश में उल्लिखित निश्चित सीमा के रूप में सीमित अधिकार क्षेत्र है।

47 नियम 1 सी. पी. सी. स्वयं। समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग एक अंतर्निहित शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता है और न ही समीक्षा की शक्ति की आड़ में एक अपीलीय शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। [पैरा 9] [891-डी-जी]

2. उपरोक्त तय की गई स्थिति के आलोक में विचार करते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से

आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत न्यायालय में निहित अधिकारिता। नहीं।

आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत परिकल्पित आधार बनाया गया है।

पैरा में की गई टिप्पणियों की समीक्षा करने के उद्देश्य से

20. यह ध्यान देने योग्य है और जैसा कि पैरा 20 से स्पष्ट है,

उच्च न्यायालय ने इस संबंध में पैरा 20 में टिप्पणियां कीं -

अभिलेख पर साक्ष्य के मूल्यांकन पर वादी का कब्जा

विशेष रूप से वादी (पीडब्लू1) और उसके बयान

गवाह पी. डब्ल्यू. 2 और साक्ष्य की सराहना पर, उच्च न्यायालय

यह पाया गया कि वादी उक्त घर के वास्तविक कब्जे में है।

इसलिए, जब कब्जे के संबंध में अवलोकन

वादी को साक्ष्य/सामग्री के मूल्यांकन पर बनाया गया था

अभिलेख पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक स्पष्ट त्रुटि थी

कार्यवाहियों का चेहरा जिसकी समीक्षा की जानी आवश्यक थी आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत शक्तियों का प्रयोग। इस स्तर पर यह

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय भी बनाते समय

इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि प्रतिवादी संख्या। 1 और 2 यहाँ उत्तरदाताओं ने स्वयं आई. ए. के रूप में एक आवेदन दायर किया।

2012 का No.1267 जो [2020] 11 एस. सी. आर. के लिए धारा 151 सी. पी. सी. के तहत दायर किया गया था।

अपीलार्थी से विवादित घर का कब्जा प्राप्त करना और उक्त आवेदन को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया। इसलिए,

उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि इसके अनुसार भी

प्रतिवादी सं। 1 & 2 अपीलकर्ताओं के कब्जे में थे

विवादित घर। इसलिए, तथ्य स्थिति के आलोक में, उच्च

न्यायालय ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैरा 20 को हटाने में स्पष्ट रूप से गलती की है।

आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत विशेष रूप से

उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की पूर्व स्थिति का निपटारा किया गया निर्णय लेते हैं। [पैरा 10] [891-जी-एच; 892-ए-ई]

3. अन्यथा भी कब्जे के संबंध में मुद्दे को तैयार न करने का कोई असर नहीं होगा और/या यह समाप्त हो जाएगा।

महत्वहीनता। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि शिकायत में और साथ ही लिखित बयान में कब्जे के संबंध में आवश्यक अभिवचन थे। यहां तक कि पक्षों ने भी कब्जे पर सबूत का नेतृत्व किया। मूल वादी-अपीलार्थी ने अपने कब्जे को दिखाने के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ साक्ष्य का नेतृत्व किया और इसके लिए, प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं द्वारा कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई। प्रतिवादी-उत्तरदाताओं ने अपने कब्जे को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। इसलिए, पक्षकार प्रतिद्वंद्वी मामलों से अवगत थे। अभिवचनों के समग्र और व्यापक अध्ययन और पीडब्लू1 और पीडब्लू2 के बयान पर, यह है

अपरिहार्य कि वादी ने जानबूझकर, प्रत्यक्ष रूप से और

अपनी दलीलों में स्पष्ट रूप से अधिकार का सवाल उठाया। जैसा कि लिखित बयान में भी ऊपर देखा गया है, प्रतिवादियों ने कब्जे के संबंध में भी एक कथन किया।

इस प्रकार न तो पूर्वाग्रह पैदा किया गया था और न ही यह कहा जा सकता है कि मुद्दे को तैयार करने के अभाव में कार्यवाही को दूषित किया गया था। जैसा कि इस न्यायालय ने श्री गंगई विनयगर मंदिर बनाम मीनाक्षी अम्मल और अन्य के मामले में कहा और कहा कि यदि पक्षकार प्रतिद्वंद्वी मामलों से अवगत हैं, तो इस मुद्दे को औपचारिक रूप से तैयार करने में विफलता महत्वहीन हो जाती है जब बिना किसी आक्षेप के व्यापक साक्ष्य दर्ज किया जाता है। यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां कि निचली अदालत और/या उच्च न्यायालय के समक्ष भी कब्जे के संबंध में कोई मुद्दा नहीं था, सही नहीं है। जैसा कि एल. आर. एस. के माध्यम से श्री राम साहू (मृत) की दलीलों में ऊपर देखा गया है।

वी. विनोद कुमार रावत

वाद में और यहां तक कि प्रतिवादियों द्वारा दायर लिखित बयान में भी, विशेष अधिकार के साथ आवश्यक अभिकथन थे। यहाँ तक कि पक्षों ने भी अधिकार पर साक्ष्य का नेतृत्व किया [पैरा 11.1] [892-एच; 893-ए-ई]

4. अतः, आक्षेप में बताए गए आधारों पर या

उच्च न्यायालय समीक्षा अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पर्याप्त और उचित कारणों के बिना अपने स्वयं के निर्णय और आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता था और पैरा 20 में की गई टिप्पणियों को हटा सकता था।

अधिकार के प्रति सम्मान। [पैरा 12] [893-ई-एफ]

हरिदास दास बनाम। उषा रानी बनिक (श्रीमती) और अन्य

(2006) 4 एससीसी 78: [2006] 3 एस. सी. आर. 87; इंदरचंद जैन

बनाम मोतीलाल (2009) 14 एस. सी. सी. 663: [2009] 11 एससीआर 252;

हरि विष्णु कामत बनाम अहमद इशाक एयर 1955 एससी 233 : [1955] एस. सी. आर. 1104; पार्सिओन देवी बनाम। सुमित्री देवी,

(1997) 8 एस. सी. सी. 715; पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

बनाम कमल सेनगुप्ता और अन्न। (2008) 8 एससीसी 612: [2008]

10 एस. सी. आर. 4-पर निर्भर।

श्री गंगई विनयगर मंदिर बनाम। मीनाक्षी अम्मल

(2015) 3 एस. सी. सी. 624: [2014] 12 एस. सी. आर. 845; भुवन सिंह

वी. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2009) 5 एस. सी. सी. 136:

[2009] 4 एस. सी. आर. 195; सैयदा अख्तर बनाम। अब्दुल अहद

(2003) 7 एससीसी 52: [2003] 1 पूरक। एससीआर 612; लिली

थॉमस बनाम भारत संघ (2000) 6 एससी 224: [2000] 3 एस. सी. आर. 1081; मोरान मार बासेलियोस कैथोलिकस बनाम। सबसे अधिक

रेव. मार पौलोस एथानासियस एयर 1954 एससी 526: [1955]

एस. सी. आर. 520; पटेल नरशी ठाकेरी बनाम।

प्रद्युम्नसिंहजी अर्जुनसिंहजी (1971) 3 एस. सी. सी. 844;

एस. सी. आर. 250-संदर्भित।

छज्जू राम बनाम नेकी एयर 1922 पी. सी. 112-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 12 एससीआर 845

पैरा 3

(vii)

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

(vii)

[2009] 4 एससीआर 195

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

(vii)

[2003] 1 पूरक। एससीआर 612

संदर्भित किया गया है

[2006] 3 एससीआर 87

उस पर भरोसा करें

[2000] 3 एससीआर 1081

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.2

[1955] एससीआर 520

पैरा 6.2

संदर्भित किया गया है

[2009] 11 एससीआर 252

उस पर भरोसा करें

पैरा 6.2

(1971) 3 एस. सी. सी. 844

पैरा 7

संदर्भित किया गया है

[1955] एससीआर 250

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1955] एससीआर 1104

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

[2008] 10 एससीआर 4

उस पर भरोसा करें

पैरा 8.2

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 3601

2020 से।

उच्च न्यायालय के 14.07.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 की समीक्षा याचिका संख्या 465 में ग्वालियर की मध्य प्रदेश पीठ की।

ए. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अर्जुन गर्ग, सुश्री श्रुतिका गर्ग, पुनीत

जैन, सुश्री प्रतिभा जैन, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

दिनांकित विवादित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

14.07.2017 मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा ग्वालियर में 2015 की समीक्षा याचिका No.465 में 2005 की पहली अपील No.241 में पारित किया गया, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर उक्त समीक्षा याचिका को स्वीकार कर लिया है। 1 और इसमें 2-मूल प्रतिवादी संख्या। 1 और 2, और 2005 की प्रथम अपील में पारित दिनांक 1 के निर्णय और आदेश की समीक्षा की है और कथित निर्णय और आदेश के पैरा 20 में की गई टिप्पणियों को हटा दिया है, विशेष रूप से विवादित घर के कब्जे के संबंध में पैरा 20 में की गई टिप्पणियों के संबंध में, जो अपीलकर्ताओं के पक्ष में थे-मूल वादी, अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले प्रासंगिक तथ्य हैं:

निम्नानुसारः

वह श्री राम साहू, अपीलार्थियों के पूर्ववर्ती

मूल प्रतिवादी सं. द्वारा निष्पादित दिनांकित पंजीकृत बिक्री विलेख की घोषणा के लिए मूल प्रतिवादियों के खिलाफ 2005 का सिविल सूट No.04A लर्नड ट्रायल कोर्ट के समक्ष स्थापित किया गया।

3 एल. आर. एस. के माध्यम से श्री राम साहू (मृत) के पक्ष में। वी. विनोद कुमार रावत [एम. आर. शाह, जे.]

मूल प्रतिवादी संख्या। 1 & 2 सुबे की पायगा, जीवाजीगंज, लश्कर में स्थित सदन No.28/955 (पिछला सदन संख्या 3/1582) को अमान्य और प्रतिवादी संख्या के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए। 1 & 2 प्रतिवादी संख्या को रोकना। 1 & 2 विवादित संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने से।

2.1 . कि मूल वादी श्री राम साहू ने एक व्यक्ति द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर विवादित संपत्ति के स्वामित्व का दावा किया चिम्माबाई ने 19.10.1993 पर उनके पक्ष में फांसी दी। मूल वादी

यह भी दावा किया कि वह चिम्माबाई की मृत्यु पर एकमात्र मालिक बन गया और पूरे घर पर उसी क्षमता में कब्जा कर लिया; उस पर उसका निरंतर कब्जा है। यह प्रतिवादियों की ओर से मामला था कि उक्त चिम्माबाई ने प्रतिवादी संख्या 3 को गोद लिया और बाद में, उसने 13.05.1992 पर गोद लेने का विलेख पंजीकृत किया और मूल प्रतिवादी संख्या। 3 विवादित संपत्ति को प्रतिवादी संख्या के पक्ष में बेच दिया। 1 & 2. मूल वादी ने प्रतिवादी नं. 3 उक्त चिम्माबाई द्वारा। उत्तरदाताओं की ओर से लिखित बयान दायर किया गया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि विवादित संपत्ति यह संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी। प्रतिवादी सं। 1 और 2 ने प्रामाणिक खरीदार होने और मुक़दमे की संपत्ति के कब्जे में होने का भी दावा किया।

2.2 . लर्नड ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार कियाः

" 1. क्या सुबे की पायगा, जिवाजीगंज, लश्कर, ग्वालियर में स्थित विवादित घर No.28/95 को घसीलाल और मंगलिया के संयुक्त हिंदू परिवार की आय से खरीदा गया था? 2. क्या घसीलाल की पत्नी चिम्माबाई ने 19.10.1993 पर वादी के पक्ष में उपरोक्त सदन की वसीयत को निष्पादित किया था?

3. क्या, प्रतिवादी संख्या 3 को घसीलाल द्वारा 28.01.1985 पर अपनाया गया था, जिसे चिम्माबाई द्वारा पंजीकृत किया गया था

13.05.1992 .

4. क्या विवादित घर के संबंध में दिनांक 25.03.1995 का बिक्री विलेख प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या के पक्ष में निष्पादित किया गया था। 1 & 2 बिना किसी अधिकार के?

5. क्या वादी पंजीकृत बिक्री प्राप्त करने का हकदार है

विलेख दिनांकित 25.03.1995 शून्य और शून्य के रूप में?

6. क्या, वादी प्रतिवादी संख्या के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है। 1 & 2 विवादित को न बेचने के लिए

घर?

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. चाहे, प्रतिवादी संख्या। 1 & 2 क्या आप वादी से विशेष मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं? यदि हाँ, तो कितना? 8. राहत और लागत "।

2.3 . दोनों पक्षों ने अपने-अपने दावों के समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का नेतृत्व किया।

2.4 . मूल वादी श्री राम साहू-यहाँ अपीलार्थी की जांच पीडब्लू1 के रूप में की गई थी। उनकी प्रतिपरीक्षा भी की गई थी (उनके बयान पर नीचे चर्चा की जाएगी)। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में सबूत का भी नेतृत्व किया कि उक्त संपत्ति पर उनका कब्जा है। प्रतिवादियों की ओर से, प्रतिवादी नं। 1 गवाह के डिब्बे में और उसके माध्यम से कदम रखा;

प्रतिवादियों ने दस्तावेजी साक्ष्य भी रिकॉर्ड में प्रस्तुत किए।

2.5 . साक्ष्य की सराहना पर, लर्नड ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया। लर्नड ट्रायल कोर्ट ने वादी-अपीलार्थी की ओर से इस मामले पर विश्वास नहीं किया कि चिम्माबाई ने वादी-अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत को निष्पादित किया। विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बचाव पक्ष ने साबित कर दिया था कि प्रतिवादी संख्या 3 को घसीलाल द्वारा 26.01.1985 पर अपनाया गया था जिसे बाद में चिम्माबाई द्वारा दिनांकित 13.05.1992 दत्तक विलेख के माध्यम से पंजीकृत किया गया था।

सी. पी. सी. जिसके द्वारा वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने और प्रतिवादी संख्या को रोकने के संबंध में राहत खंड में संशोधन की मांग की। 1 और 2 वादी को विवादित घर से जबरन बेदखल करने से। हालाँकि, उक्त आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा देरी और देरी (2012 का आई. ए. No.2244) के आधार पर खारिज कर दिया गया। हालांकि, उक्त आवेदन को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को उक्त राहत के लिए एक अलग मुकदमा दायर करने की अनुमति दी। अभियुक्तों के खिलाफ। इसके बाद अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर, उच्च न्यायालय ने मूल वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारिज कर दिया। हालांकि, अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने विवादित घर के कब्जे और एलआरएस के माध्यम से श्री राम साहू (मृत) पर भी टिप्पणी की।

वी. विनोद कुमार रावत [एम. आर. शाह, जे.]

पीडब्लू1 और पीडब्लू2 के बयान का विश्लेषण और अभिलेख पर सामग्री पर विचार करना और इस तथ्य पर विचार करना कि अपील के लंबित रहने के दौरान मूल प्रतिवादी नं. 1 स्वयं विवादित घर के वादी से कब्जा प्राप्त करने के लिए 02.12.2013 पर धारा 151 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे वापस ले लिया गया, उच्च न्यायालय ने विवादित घर के वादी के कब्जे के संबंध में टिप्पणियां कीं। घर।

2.7 . इसके बाद उच्च न्यायालय के फैसले के लगभग 2 साल बाद

प्रथम अपील में न्यायालय, प्रतिवादी Nos.1 और इसमें 2-मूल प्रतिवादी संख्या। 1 & 2 फैसले के पैरा 20 में टिप्पणियों की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया विवादित घर का कब्जा। उक्त आवेदन का यहाँ अपीलार्थियों द्वारा विरोध किया गया था। हालाँकि, विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने समीक्षा आवेदन को अनुमति दे दी है और 2005 की पहली अपील No.241 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 10.12.2013 के पैरा 20 को हटाने का आदेश दिया है, यह देखते हुए कि विवादित संपत्ति के कब्जे के संबंध में कब्जे का मुद्दा न तो विद्वान के समक्ष उठाया गया था।

विचारण न्यायालय द्वारा न तो प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष और न ही कब्जे के संबंध में कोई मुद्दा तैयार किया गया था।

2.8 . पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति देने में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए और 2005 की पहली अपील में पारित निर्णय और आदेश के पैरा 20 को हटाते हुए मूल वादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. के. श्रीवास्तव ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं, जबकि समीक्षा आवेदन में पारित उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश पर हमला करते हुए।

(i) विवादित आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है और कार्रवाई की है।

आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत समीक्षा अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे से परे; (ii) समीक्षा अधिकारिता का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को कब्जे के संबंध में दिए गए विशिष्ट निष्कर्ष को दरकिनार नहीं करना चाहिए था, जो निष्कर्ष विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य की सराहना पर आधारित था; [2020] 11 एस. सी. आर.

((ग) उच्च न्यायालय ने अपनी समीक्षा अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, प्रथम अपील सं. <आई. डी. 2 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 10.12.2013 के पैरा 20 को हटाने में गंभीर त्रुटि की है, क्योंकि अभिलेख के सामने कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं थी, जिसे ठीक करने की आवश्यकता थी;

((iv) केवल इसलिए कि कब्जे के संबंध में विशिष्ट मुद्दा विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा तैयार नहीं किया गया था, यह निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता है।

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को दरकिनार करते हुए, जब इस संबंध में ऐसा निष्कर्ष

(v) इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले सिविल सूट संख्या 3-ए/2005 में बनाए गए मुद्दों पर विचार करने में एक गंभीर त्रुटि की है, जो सदन संख्या 28/956 से संबंधित था और जिसमें पक्षकार भी अलग थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने सदन संख्या 28/956 से संबंधित दीवानी मुकदमा संख्या 3-ए/2005 में बनाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए और दीवानी मुकदमा संख्या 4-ए/2005 में बनाए गए मुद्दों पर विचार नहीं करते हुए खुद को गलत निर्देश दिया है। (vi) उच्च न्यायालय को यह स्वीकार करना चाहिए था कि कब्जे का मुद्दा विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष बड़े पैमाने पर था और वास्तव में,

पक्षों ने कब्जे के संबंध में साक्ष्य का भी नेतृत्व किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय को यह स्वीकार करना चाहिए था कि वाद में और साथ ही वादी की गवाही में एक विशिष्ट अभिकथन था कि वह वाद संपत्ति, यानी सदन सं. 28/955 के कब्जे में है।

(vii) प्रतिवादियों ने कब्जे के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब विशिष्ट थे

कब्ज़े के संबंध में वाद में अभिकथन और अभिवचन, और यहां तक कि वादी ने विशेष रूप से कब्ज़े पर साक्ष्य का नेतृत्व किया, कब्ज़े के संबंध में विशिष्ट मुद्दे को तैयार न करने से उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को दूषित नहीं किया जाएगा, जो कि प्रशंसा पर था

अभिलेख पर सामग्री। अपनी प्रस्तुति के समर्थन में, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित पर भरोसा किया हैः

इस न्यायालय के निर्णय, श्री गंगई विनयगर मंदिर बनाम। मीनाक्षी अम्मल (2015) 3 एस. सी. सी. 624; भुवन सिंह बनाम। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2009) 5 एस. सी. सी. 136 और सैयदा अख्तर बनाम। अब्दुल अहद (2003) 7 एससीसी 52। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी पक्ष प्रतिद्वंद्वी मामलों से अवगत थे और कब्जे के संबंध में मुद्दा मौजूद था और

यहाँ तक कि वादी ने भी एल. आर. एस. के माध्यम से श्री राम साहू (मृत) को न गढ़ने पर साक्ष्य का नेतृत्व किया।

वी. विनोद कुमार रावत [एम. आर. शाह, जे.]

अधिकार के संबंध में विशिष्ट मुद्दा गैर-महत्वपूर्ण होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से अधिकार के संबंध में पहली अपील संख्या 241/2005 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 10.12.2013 के पैरा 20 को हटाने में गंभीर त्रुटि की है।

इस आधार पर कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा कब्जे के संबंध में कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था;

3.1 . अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी हमें वाद में प्रासंगिक कथनों के साथ-साथ

कब्जे के संबंध में लिखित बयान। अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने हमें वादी-श्री राम साहू की गवाही के साथ-साथ वादी की ओर से जे. के. शर्मा के बयान की जांच करने के लिए भी ले गए हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि वादी के कब्जे के बिंदु पर प्रतिवादियों द्वारा कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी

विशेष रूप से अपीलार्थियों को वाद संपत्ति खाली करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना की गई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, वास्तव में, प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थियों के कब्जे को स्वीकार किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न केवल, बल्कि बाद में सितंबर, 2017 के महीने में, प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थियों के खिलाफ अधिकार, मुआवजे और अन्य लाभों के लिए एक मुकदमा दायर किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उत्तरदाताओं ने विशेष रूप से मुकदमे में अपीलार्थियों के कब्जे को स्वीकार किया है। संपत्ति;

3.2 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि समीक्षा आवेदन धारा 195 के साथ पठित धारा 340 के तहत कार्यवाही का सामना करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर किया गया था। Cr.P.C और विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश का सामना करना पड़ा

प्रत्यर्थी सं. के विरुद्ध मामला दर्ज करना। 1 और 2 यहाँ और अन्य आई. पी. सी. की धारा 193,465,471 और 120-बी, दिनांक 06.02.2016 के तहत;

3.3 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में, अपीलकर्ताओं ने आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. (आई. ए. सं.

2244/2012) प्रतिवादियों को जबरन बेदखल न करने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री के अनुदान के लिए राहत जोड़कर वाद में संशोधन करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कथित आवेदन का प्रतिवादियों द्वारा यह प्रस्तुत करते हुए विरोध किया गया था कि वे वाद के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थियों को बेदखल करने की धमकी नहीं दे रहे हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय ने आदेश 6 [2020] 11 एस. सी. आर. के तहत उक्त आवेदन को खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियम 17 सी. पी. सी. ने अपीलार्थियों के पक्ष में अलग याचिका दायर करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी

उपरोक्त राहत के लिए सूट। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, कब्जे के संबंध में मुद्दा उच्च न्यायालय के समक्ष भी व्यापक था;

3.4 . अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

धारा 195 Cr.P.C के साथ पठित धारा 340 के तहत दायर एक आवेदन पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पर भी बहुत अधिक भरोसा किया है।

जिसमें विद्वत मजिस्ट्रेट ने प्रत्यर्थियों द्वारा दायर किए गए दिनांक 19.03.2012 के शपथ पत्र पर ध्यान दिया और निर्णय और दिनांक 10.12.2013 के आदेश के पैरा 20 में किए गए कब्जे के संबंध में विशिष्ट अवलोकन और निष्कर्ष पर भी ध्यान दिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थियों द्वारा अपने कब्जे को दिखाने के लिए दस्तावेजों को जाली बनाने/बनाने/गढ़ने पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा एक विशिष्ट निष्कर्ष दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद ही विद्वान मजिस्ट्रेट ने धारा 340 Cr.P.C के प्रावधानों के तहत आईपीसी की धारा 193,465,471 और 120-बी के तहत प्रतिवादियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया;

3.5 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाद में भी द्वारा दायर किया गया मुकदमा

प्रतिवादी-वर्ष 2017 में दायर किए गए उत्तरदाताओं को उच्च न्यायालय द्वारा सीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया है और शिकायत को खारिज कर दिया गया है आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शक्तियों के प्रयोग में अस्वीकार कर दिया गया;

3.6 . उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और उपरोक्त पर भरोसा करना

निर्णय, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए।

4. श्री पुनीत जैन, विद्वान अधिवक्ता, की ओर से उपस्थित हुए

प्रत्यर्थियों ने वर्तमान अपील का विरोध करते हुए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश का समर्थन करते हुए जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए 2005 की पहली अपील में पारित आदेश के पैरा 20 को हटाने में कोई त्रुटि नहीं की है।

4.1 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल वादी ने मुकदमा दायर किया था

दिनांकित 25.03.1995 बिक्री विलेख को रद्द करने की मांग करना और

स्थायी

इस आशय का निषेधाज्ञा कि प्रतिवादी सं। 1 & 2 (यहाँ उत्तरदाता) संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि बेदखल करने से कोई निषेधाज्ञा नहीं मांगी गई थी और केवल आगे के हस्तांतरण के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगी गई थी, इसलिए कब्जे के संबंध में कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए संपत्ति के कब्जे के संबंध में विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा तैयार किए गए किसी विशिष्ट मुद्दे के अभाव में और जब मुकदमा खारिज कर दिया गया था और उसके बाद भी श्री राम साहू (मृत) ने एलआरएस के माध्यम से अपील की थी।

वी. विनोद कुमार रावत [एम. आर. शाह, जे.]

घिसा लाल साहू, संपत्ति पर उनका कब्जा था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती. चिम्माबाई ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया। वह अपने कब्जे में बनी रही और उसके बाद गोद लिया हुआ बेटा-दिलीप। कुमार साहू कब्जे में आ गए। श्री दिलीप कुमार साहू को गोद लेने का मुद्दा 2001 के सूट No.4A में मुकदमे का विषय था, जिसमें उक्त गोद लेने और दिनांक 13.05.1992 के गोद लेने के विलेख को चुनौती दी गई थी। उक्त मुकदमे को अंततः उच्च न्यायालय द्वारा 2005 के एसए No.315 में दिनांकित 07.09.2009 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांकित 19.10.1993 की वसीयत भी दिलीप कुमार साहू द्वारा दायर 2003 के मुकदमे No.45A का विषय थी। उक्त वाद 2005 के एस. ए. No.946 में दिनांकित 07.09.2009 निर्णय द्वारा घोषित किया गया था। संपत्ति के कुछ हिस्से थे

किरायेदारों के कब्जे में-(i) ओम बाबू सक्सेना और (ii) कश्मीर सिंह यादव। श्री दिलीप कुमार साहू ने उक्त किरायेदारों से उनके साथ समझौता करके 30.01.1995 पर कब्जा प्राप्त किया। श्री दिलीप कुमार साहू ने प्रत्यर्थियों के पक्ष में दिनांकित 25.03.1995 बिक्री विलेख निष्पादित किया। उक्त बिक्री के तहत, संपत्ति का अधिकार दिया गया था

उत्तरदाताओं। याचिकाकर्ता ने एक अन्य किरायेदार-परवेश सिंह जादोन से संपत्ति के एक अन्य हिस्से पर कब्जा कर लिया। निर्णय और डिक्री दिनांकित 18.10.2014। याचिकाकर्ता ने यह नहीं दिखाया है कि कैसे, किस क्षमता के तहत और कब याचिकाकर्ता संपत्ति के कब्जे में आया, रचनात्मक या अन्यथा।

4.2 . जहां तक 2012 के आई. ए. <आई. डी. 2 में दिनांकित 02.12.2013 आवेदन को वापस लेने का संबंध है, जो प्रतिवादियों द्वारा दायर किया गया था, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त आवेदन को वापस ले लिया गया था क्योंकि (i) वादी द्वारा शुरू किए गए मुकदमे से उत्पन्न होने वाली कोई राहत का दावा नहीं किया जा सकता था।

और (ii) याचिकाकर्ता की अलग हो चुकी पत्नी-श्रीमती के कब्जे में संपत्ति के हिस्से को आगे बढ़ाएँ। शीला साहू जो उक्त कार्यवाही में पक्षकार नहीं थीं।

4.3 . यह याचिकाकर्ता द्वारा आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. के तहत स्थायी के प्रार्थना खंड में संशोधन के लिए प्रस्तुत आवेदन भी प्रस्तुत किया जाता है।

याचिकाकर्ताओं को विवादित घर से जबरन बेदखल करने से प्रतिवादियों को रोकने वाले निषेधाज्ञा को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, हालांकि एक अलग मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ लेकिन याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त राहत के लिए कोई तत्काल मुकदमा दायर नहीं किया था।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.4 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब इस संबंध में मुद्दा

कब्जा न तो विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष था और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष और कब्जे के संबंध में पैरा 20 में समान टिप्पणियों के बावजूद, बाद में इसे हटा दिया गया है।

समीक्षा अधिकारिता का प्रयोग। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायालय के पास त्रुटि को सुधारने की अंतर्निहित शक्ति है यदि बाद में यह बाध्य है कि कुछ टिप्पणियां त्रुटि से की गई थीं।

5. विवादित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के साथ पठित धारा 114 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमति दी है -

वादी मुख्य रूप से/केवल इस आधार पर कि कब्जे का मुद्दा न तो विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष था और न ही यह प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष था और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा कब्जे के संबंध में ऐसा कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था। इसलिए, संक्षिप्त प्रश्न इसके लिए आता है इस न्यायालय के समक्ष विचार यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय उपरोक्त आधारों पर आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के साथ पठित धारा 114 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए समीक्षा आवेदन की अनुमति देना उचित है?

इस पर विचार करने की आवश्यकता है और इसके लिए इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को संदर्भित करने की आवश्यकता है। 6.1 . हरिदास दास बनाम के मामले में। उषा रानी बनिक (श्रीमती) और अन्य, (2006) 4 एस. सी. सी. 78 आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के साथ पठित धारा 114 सी. पी. सी. के दायरे और दायरे पर विचार करते हुए इसे पैराग्राफ 14 से 18 में निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया हैः

“ 14. मीरा भान्जा बनाम। निर्मला कुमारी चौधरी, (1995)

1 एस. सी. सी. 170 यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

" 8. यह अच्छी तरह से तय है कि समीक्षा कार्यवाही किसी भी तरह से नहीं है।

किसी अपील के लिए और आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के दायरे और दायरे तक सख्ती से सीमित होना चाहिए। एल. आर. एस. के माध्यम से श्री राम साहू (मृत) से निपटते समय आदेश 47 नियम 1 के तहत अदालत की शक्तियों की सीमा के संबंध में।

वी. विनोद कुमार रावत [एम. आर. शाह, जे.]

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आदेशों की समीक्षा करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय को उपलब्ध समान अधिकार क्षेत्र के साथ, यह न्यायालय, अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम। अरिबम पिशक शर्मा, (1979) 4 एस. सी. सी. 389 ने चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. के माध्यम से बोलते हुए निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां की हैं:

' यह सच है कि संविधान के अनुच्छेद 226 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उच्च न्यायालय को समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने से रोक सके जो पूर्ण अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक न्यायालय में रोकने के लिए निहित है।

न्याय की विफलता या गंभीर और स्पष्ट त्रुटियों को सुधारना

इसके द्वारा प्रतिबद्ध। लेकिन, समीक्षा की शक्ति के प्रयोग की निश्चित सीमाएँ हैं। समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज पर किया जा सकता है, जो उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद समीक्षा की मांग करने वाले व्यक्ति के ज्ञान में नहीं था या उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका जब आदेश दिया गया था; इसका प्रयोग किया जा सकता है जहां रिकॉर्ड के सामने कुछ गलती या त्रुटि स्पष्ट पाई जाती है, इसका उपयोग किसी भी अनुरूप आधार पर भी किया जा सकता है। लेकिन, इसका प्रयोग इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि निर्णय गुण-दोष के आधार पर गलत था। वह अपील न्यायालय का प्रांत होगा। समीक्षा की शक्ति को अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए जो

अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सभी प्रकार की त्रुटियों को सुधारने में सक्षम बनाना।

15. आदेश 47 नियम 1 के अवलोकन से पता चलता है कि किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा की जा सकती है: (क) नए और महत्वपूर्ण मामलों या साक्ष्य की खोज से जो देय के अभ्यास के बाद

अध्यवसाय आवेदक की जानकारी में नहीं था; (बी) ऐसा महत्वपूर्ण मामला या साक्ष्य आवेदक द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश दिया गया था; और (सी) रिकॉर्ड या किसी अन्य पर्याप्त कारण के सामने स्पष्ट कुछ गलती या त्रुटि के कारण।

16. अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम। अरिबम पिशक शर्मा, ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1047, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि समीक्षा की शक्ति के प्रयोग की निश्चित सीमाएँ हैं। उस मामले में, एक आवेदन

संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 47 नियम 1 के तहत दायर किया गया था जिसकी अनुमति दी गई थी और न्यायिक आयुक्त द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया था और रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय में एक अपील पर यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था: (एस. सी. सी पी. 390, पैरा 3)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" यह सच है जैसा कि इस न्यायालय ने शिवदेव सिंह बनाम में कहा है। पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1909 संविधान के अनुच्छेद 226 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उच्च न्यायालय को समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने से रोक सके जो पूर्ण अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक न्यायालय में - न्याय की विफलता को रोकने या उसके द्वारा की गई गंभीर और स्पष्ट त्रुटियों को सुधारने के लिए। लेकिन, समीक्षा की शक्ति के प्रयोग की निश्चित सीमाएँ हैं। समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

पुनरीक्षण की मांग करने वाले व्यक्ति का या आदेश दिए जाने के समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका; इसका प्रयोग वहां किया जा सकता है जहां अभिलेख के सामने कोई स्पष्ट गलती या त्रुटि पाई जाती है; इसका प्रयोग किसी भी अनुरूप आधार पर भी किया जा सकता है। लेकिन, इसका प्रयोग इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि निर्णय गलत था

अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सभी प्रकार की त्रुटियों को सुधारने में सक्षम बनाना। 17. अरीबाम मामले में फैसले का पालन मीरा भंज में किया गया है। उस मामले में, यह दोहराया गया है कि समीक्षा करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि ऐसी त्रुटि होनी चाहिए जो केवल देखने पर किसी को प्रभावित कर सकती है

अभिलिखित करें और तर्क की किसी भी लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण हेगड़े बनाम में अभिलेख के चेहरे पर एक स्पष्ट त्रुटि के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ। मिलिकारजुन भवनप्पा तिरुमाले, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 137 थे

यह भी नोट कियाः

" एक त्रुटि जिसे एक लंबी प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया जाना है

जिन बिंदुओं पर दो राय हो सकती हैं, उन पर तर्क को शायद ही रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है। जहाँ कोई कथित त्रुटि स्पष्ट नहीं है और यदि इसे स्थापित किया जा सकता है, तो इसे लंबे और जटिल तर्कों द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए, इस तरह की त्रुटि को इस तरह के रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियम के अनुसार प्रमाणपत्र के रिट द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। "

18. पारसन देवी बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख करना भी उचित है। सुमितरी देवी, (1997) 8 एस. सी. सी. 715।

एल. आर. एस. के माध्यम से श्री राम साहू (मृत) पर भरोसा करना। वी. विनोद कुमार रावत [एम. आर. शाह, जे.]

अरिबम और मीरा भान्जा के निर्णयों को इस रूप में देखा गया था

इसके अंतर्गतः

" 9. आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत एक निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ समीक्षा के लिए खुला हो सकता है यदि इसमें कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट है। रिकॉर्ड का चेहरा। एक त्रुटि जो स्वतः स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, उसे शायद ही रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है जो अदालत को आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत अपनी समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराती है। आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी गलत निर्णय की 'पुनः सुनवाई और सुधार' की अनुमति नहीं है। एक समीक्षा याचिका, यह याद रखना चाहिए कि इसका एक सीमित उद्देश्य है और इसे 'भेष बदलकर अपील' करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

6.2 . लिली थॉमस बनाम भारत संघ, (2000) 6 एस. सी. 224 के मामले में, यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। गलती के सुधार के लिए लेकिन एक दृश्य को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं। ऐसी शक्तियाँ

उक्त निर्णय में आगे यह देखा गया है कि आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. में दिखाई देने वाले "कोई अन्य पर्याप्त कारण" शब्दों का अर्थ "कम से कम नियम में निर्दिष्ट आधारों के अनुरूप पर्याप्त कारण" होना चाहिए जैसा कि छज्जू राम बनाम नेकी, ए. आई. आर. 1922 पी. सी. 112 में आयोजित किया गया था और इस न्यायालय द्वारा मोरान मार बासेलियोस कैथोलिकस बनाम मोस्ट मामले में अनुमोदित किया गया था। रेव. मार पौलोस एथानासियस, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 526।

12.3 इंदरचंद जैन बनाम मोतीलाल, (2009) 14 एस. सी. सी. 663 के मामले में पैराग्राफ 7 से 11 में इसे निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया हैः

संहिता के आदेश 47 में निहित शर्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यद्यपि संहिता की धारा 114 न्यायालय की शक्ति पर कोई सीमा निर्धारित नहीं करती है, लेकिन ऐसी सीमाएँ हैं - संहिता के आदेश 47 में प्रावधान किया गया है; नियम 1 जिसके बारे में निम्नानुसार हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 17. दीवानी अदालत की अपने फैसले/फैसले की समीक्षा करने की शक्ति का पता सी. पी. सी. की धारा 114 में लगाया जा सकता है। जिन आधारों पर समीक्षा की जा सकती है, वे आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. में सूचीबद्ध हैं, जो निम्नानुसार हैः

1. निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन। (1) कोई भी व्यक्ति जो खुद को दुखी समझता है

(क) एक डिक्री या आदेश द्वारा जिससे एक अपील की अनुमति है, लेकिन जिससे कोई अपील नहीं की गई है,

(बी) एक डिक्री या आदेश द्वारा जिससे कोई अपील की अनुमति नहीं है, या (ग) लघु कारणों के न्यायालय से एक संदर्भ पर निर्णय द्वारा,

और जो, नए और महत्वपूर्ण पदार्थ की खोज से या

जो साक्ष्य, जो उचित परिश्रम करने के बाद, उसकी जानकारी में नहीं था या उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश दिया गया था, या रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट किसी गलती या त्रुटि के कारण, या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, उसके खिलाफ पारित डिक्री या आदेश की समीक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उस अदालत के फैसले की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है जिसने डिक्री पारित की या आदेश दिया।

8. समीक्षा के लिए एक आवेदन अन्य बातों के साथ-साथ होगा जब आदेश रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त होता है और

इसे जारी रखने की अनुमति देने से न्याय की विफलता होगी। राजेन्द्र कुमार बनाम। रामबाई इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः (एस. सी. सी पी. 514, पैरा 6)

" 6. समीक्षा की शक्ति के प्रयोग की सीमाएँ अच्छी तरह से तय की गई हैं। मनोरंजन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता

पुनरीक्षण याचिका यह है कि जिस आदेश की पुनरीक्षण की मांग की गई है, वह आदेश के सामने किसी भी स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है और आदेश को खड़े होने की अनुमति देने से न्याय की विफलता होगी। इस तरह की किसी भी त्रुटि के अभाव में, निर्णय/आदेश से जुड़ी अंतिमता नहीं हो सकती है

परेशान "।

9. समीक्षा की शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज की स्थिति में भी किया जा सकता है।

ऐसा होता है जो उचित परिश्रम के बावजूद आवेदक की जानकारी में नहीं था या आदेश दिए जाने के समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। यदि एल. आर. एस. के माध्यम से किसी श्री राम साहू (मृत) के कारण आदेश पारित किया गया है तो समीक्षा के लिए एक आवेदन भी होगा।

गलती हुई। इसके अलावा, समीक्षा के लिए एक आवेदन भी होगा

कोई अन्य पर्याप्त कारण।

10. यह किसी भी संदेह या विवाद से परे है कि समीक्षा अदालत

अपने ही आदेश पर अपील में नहीं बैठता है। कानून में मामले की फिर से सुनवाई की अनुमति नहीं है। यह सामान्य नियम के लिए एक अपवाद है कि एक बार निर्णय पर हस्ताक्षर या घोषणा होने के बाद, इसे बदला नहीं जाना चाहिए। यह भी सामान्य है कि अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं है किसी भी आदेश की समीक्षा के लिए अनुरोध किया जाता है।

11. समीक्षा छद्म रूप में अपील नहीं है। लिली थॉमस बनाम। संघ

भारत के इस न्यायालय ने निर्णय दियाः (एस. सी. सी पी. 251, पैरा 56)

" 56. अतः, समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किसी गलती को सुधारने के लिए किया जा सकता है, लेकिन किसी दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं। ऐसी शक्तियों का प्रयोग क़ानून की सीमाओं के भीतर किया जा सकता है।

शक्ति के प्रयोग से निपटना। समीक्षा का इलाज नहीं किया जा सकता है।

भेस में एक अपील की तरह "।

7. "समीक्षा" शब्द का शब्दकोश अर्थ है "का कार्य"।

देखना, सुधार या सुधार की दृष्टि से फिर से कुछ पेश करना "। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समीक्षा एक क़ानून का निर्माण है। पटेल नरशी थाकेरी बनाम प्रद्युम्नसिंहजी अर्जुनसिंहजी के मामले में,

(1971) 3 एस. सी. सी. 844, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि समीक्षा की शक्ति एक अंतर्निहित शक्ति नहीं है। यह कानून द्वारा या तो विशेष रूप से या द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। आवश्यक प्रभाव। समीक्षा भी छद्म रूप में एक अपील नहीं है।

8. जिसे कार्यवाही के सामने एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है, इस न्यायालय द्वारा इस मामले में निपटा और विचार किया गया है

टी. सी. बसप्पा बनाम का मामला। T.Nagappa, AIR 1954 SC 440। यह माना जाता है कि ऐसी त्रुटि एक त्रुटि है जो एक पेटेंट त्रुटि है और केवल गलत निर्णय नहीं है। हरि विष्णु कामत बनाम अहमद इशाक, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 233 के मामले में, यह निम्नानुसार देखा गया हैः

" यह आवश्यक है कि यह केवल एक त्रुटि से कुछ अधिक हो; यह ऐसा होना चाहिए जो अभिलेख के सामने प्रकट होना चाहिए। हालाँकि, इस मामले के संदर्भ में वास्तविक कठिनाई सिद्धांत के कथन में उतनी नहीं है जितनी इसके अनुप्रयोग में है। किसी विशेष मामले के तथ्यों के लिए। कब एक त्रुटि केवल त्रुटि नहीं रह जाती है, और रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि बन जाती है? दोनों पक्षों के विद्वान वकील किसी भी स्पष्ट नियम का सुझाव देने में असमर्थ थे जिसके द्वारा दो वर्गों की त्रुटियों के बीच की सीमा का सीमांकन किया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8.1 . पार्सिओन देवी बनाम सुमितरी देवी, (सुप्रा) के मामले में ग्राफ 7 से 9 में इसे निम्नानुसार देखा और माना गया हैः

7. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि समीक्षा कार्यवाही को आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के दायरे और दायरे तक ही सीमित रखना होगा। तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। सरकार. ए. पी., ए. आई. आर. 1964 एस. सी.

1372 इस न्यायालय ने राय दीः

" हालाँकि, अब हम जिस बात से चिंतित हैं, वह यह है कि क्या सितंबर 1959 के आदेश में दिया गया बयान कि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं था, एक 'रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि' है)। यह तथ्य कि पूर्ववर्ती अवसर पर न्यायालय ने तथ्यों की एक समान स्थिति पर अभिनिर्धारित किया था कि कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ है, अपने आप में निर्णायक नहीं होगा, क्योंकि पूर्ववर्ती आदेश स्वयं ही गलत हो सकता है। इसी तरह, भले ही कथन गलत था, यह नहीं होगा कि यह एक 'रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि' थी, क्योंकि एक अंतर है जो वास्तविक है, हालांकि यह हमेशा व्याख्या करने में सक्षम नहीं हो सकता है, केवल एक गलत निर्णय और एक निर्णय के बीच जिसे 'स्पष्ट त्रुटि' द्वारा दूषित किया जा सकता है। एक समीक्षा किसी भी तरह से एक छद्म अपील नहीं है जिसमें एक गलत निर्णय की फिर से सुनवाई की जाती है और

ठीक किया गया, लेकिन केवल पेटेंट त्रुटि के लिए है। 8. पुनः, मीरा भान्जा बनाम में। निर्मला कुमारी चौधरी,

(1995) 1 एस. सी. सी. 170 ने अनुमोदन के साथ अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम के एक अंश को उद्धृत किया। अरिबम पिशक शर्मा (ऊपर) इस न्यायालय ने एक बार फिर कहा कि समीक्षा कार्यवाही अपील के माध्यम से नहीं होती है और इसे सख्ती से दायरे तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।

और आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. की सीमा।

9. आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत एक निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ समीक्षा के लिए खुला हो सकता है यदि इसके सामने कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट है।

रिकॉर्ड। एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, शायद ही एक त्रुटि कहा जा सकता है।

रिकॉर्ड के चेहरे पर अदालत को अभ्यास करने के लिए उचित ठहराते हुए

आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत इसकी समीक्षा की शक्ति। आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इसकी अनुमति नहीं है।

एक गलत निर्णय के लिए "फिर से सुना और ठीक किया जाना"। एक समीक्षा याचिका, यह याद रखना चाहिए कि इसका एक सीमित उद्देश्य है और यह नहीं हो सकता है

"भेस में एक अपील" होने की अनुमति दी जाए।

श्री राम साहू (मृत) एल. आर. एस. के माध्यम से। वी. विनोद कुमार रावत [एम. आर. शाह, जे.]

8.2 पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम कमल उषा और अन्न के मामले में। , (2008) 8 एस. सी. सी. 612, इस न्यायालय के पास यह कहने का अवसर था कि "गलती या त्रुटि चेहरे पर स्पष्ट है।"

तार "। पैरा 22 से 35 में इसे निम्नलिखित रूप में मनाया और आयोजित किया गया हैः

" 22. शब्द "गलती या त्रुटि स्पष्ट" इसके बहुत

अर्थ एक त्रुटि को दर्शाता है जो मामले के रिकॉर्ड से स्पष्ट है और इसके लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है।

तथ्यों या कानूनी स्थिति की जांच और स्पष्टीकरण। यदि कोई त्रुटि स्वतः स्पष्ट नहीं है और उसका पता लगाने के लिए लंबी बहस और तर्क की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, तो इसे आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. या अधिनियम की धारा 22 (3) (एफ) के उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसे अलग तरह से रखने के लिए एक आदेश या निर्णय या निर्णय को केवल इसलिए ठीक नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कानून में या इस आधार पर गलत है कि न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा तथ्य या कानून के किसी बिंदु पर एक अलग दृष्टिकोण लिया जा सकता था। किसी भी मामले में, समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय/न्यायाधिकरण

संबंधित अपने निर्णय/निर्णय पर अपील में नहीं बैठ सकता है।

23. अब हम कुछ न्यायिक उदाहरणों पर ध्यान दे सकते हैं जिनमें आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. और/या अधिनियम की धारा 22 (3) (एफ) के साथ पठित धारा 114 की व्याख्या की गई है और दीवानी अदालत/न्यायाधिकरण की अपने फैसले/निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति पर सीमाएं हैं।

पहचान कर ली गई है।

24. राजा कोटागिरी में वेंकट सुब्बम्मा राव बनाम। राजा।

वेल्लंकी वेंकटरामा राव (1899-1900) 27 IA 197 द प्रिवी

परिषद ने सिविल प्रक्रिया की धारा 206 और 623 की व्याख्या की

कोड और अवलोकन कियाः (IA p.205)

धारा 623 किसी भी पक्ष को नए और महत्वपूर्ण मामले और साक्ष्य की खोज पर किसी भी डिक्री की समीक्षा के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाती है, जो उसकी जानकारी में नहीं था, या डिक्री पारित होने के समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, या किसी गलती या त्रुटि के कारण जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है, या किसी अन्य पर्याप्त कारण से। इस मामले में यह निर्णय लेना आवश्यक नहीं है कि क्या बाद के शब्दों को रॉय मेघराज बनाम में वर्णित कारणों के साथ सख्ती से सामान्य कारणों तक सीमित रखा जाना चाहिए। बिजॉय गोबिंद बराल, आई. एल. आर. (1875) 1 कैल 197। उनके प्रभुओं की राय में, संशोधन का आधार

किसी भी तरह से कुछ ऐसा होना चाहिए जो तारीख में मौजूद था डिक्री, और धारा [2020] 11 एस. सी. आर. की समीक्षा को अधिकृत नहीं करती है।

डिक्री जो सही थी जब इसे बाद की किसी घटना के होने के आधार पर बनाया गया था।

(जोर दिया गया)

25. हरि शंकर पाल बनाम। अनाथ नाथ मित्तर, 1949 एफ. सी. आर. 36 संघीय न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय को इस मामले में न्यायोचित ठहराया गया था।

गैर-अपील पक्ष को राहत प्रदान करते हुए, जिसकी स्थिति सफल अपीलार्थी के समान थी, ने अभिनिर्धारित कियाः (एफ. सी. आर पी. 48) " यह कि कोई निर्णय कानूनी रूप से गलत है, निश्चित रूप से समीक्षा का आदेश देने का कोई आधार नहीं है। यदि अदालत ने एक बिंदु का निर्णय लिया है और उसे गलत तरीके से तय किया है, तो त्रुटि रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट या उसके अनुरूप भी नहीं हो सकती है। हालाँकि, जब न्यायालय किसी ऐसे कानून के प्रावधान को स्वीकार किए बिना या उस पर अपना दिमाग लगाए बिना किसी मामले का निपटारा करता है जो उसे किसी विशेष तरीके से कार्य करने का अधिकार देता है, तो यह एक त्रुटि हो सकती है जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि के समान है जो मामले को आदेश 47 नियम 1, सिविल प्रक्रिया संहिता के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त है।

26. मोरान मार बासेलियोस कैथोलिकस बनाम। मार पौलोस

आदेश 47 नियम 1 में कहा गया हैः " 32. ..... त्रावणकोर सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत, जो हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 47 नियम 1 के संदर्भ में समान है, समीक्षा न्यायालय के पास केवल एक सीमित अधिकार क्षेत्र है जो उसमें उपयोग की जाने वाली भाषा द्वारा निर्धारित निश्चित सीमाओं से सीमित है।

यह तीन निर्दिष्ट आधारों पर समीक्षा की अनुमति दे सकता है, अर्थात्, (i) नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज, जिसके बाद

ज्ञान या उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब डिक्री पारित की गई थी, (ii) रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट गलती या त्रुटि और (iii) किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए। न्यायिक समिति द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 'कोई अन्य पर्याप्त कारण' शब्दों का अर्थ होना चाहिए 'आधारों पर पर्याप्त कारण, कम से कम नियम में निर्दिष्ट लोगों के समान'। श्री राम साहू (मृत) एल. आर. एस. के माध्यम से।

वी. विनोद कुमार रावत [एम. आर. शाह, जे.]

27. तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। सरकार. ए. पी. (ऊपर) का यह अभिनिर्धारित किया गया था कि समीक्षा किसी भी तरह से छद्म अपील नहीं है।

जिसके गलत निर्णय को ठीक किया जा सकता है।

रिकॉर्ड का चेहरा। एक त्रुटि जो स्वयं-स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, उसे शायद ही रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है जो अदालत को आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत अपनी समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराती है। आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी गलत निर्णय की 'पुनः सुनवाई और सुधार' की अनुमति नहीं है। के बीच एक स्पष्ट अंतर है गलत निर्णय और रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि। जबकि पहले को उच्च मंच द्वारा ठीक किया जा सकता है,

उत्तरार्द्ध को केवल समीक्षा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से ही ठीक किया जा सकता है। पुनरीक्षण याचिका का एक सीमित उद्देश्य होता है और

इसे 'भेस में अपील' होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

29. हरिदास दास बनाम। उषा रानी बनिक, (ऊपर) इस न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा आदेश 47 में जोड़े गए स्पष्टीकरण का संदर्भ दिया और कहाः " 13. समीक्षा के दायरे को समझने के लिए, सी. पी. सी. की धारा 114 को पढ़ना होगा, लेकिन यह धारा न्यायालय से अपेक्षित हस्तक्षेप के दायरे को भी नहीं जोड़ती है क्योंकि यह केवल यह बताती है कि वह 'उस पर ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे'। मानदंड आदेश 47 सी. पी. सी. में और इन उद्देश्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

इस सूची के अनुसार, प्रतिवादी को 'अभिलेखों के सामने या किसी अन्य पर्याप्त कारण से स्पष्ट किसी गलती या त्रुटि के कारण' पुनः सुनवाई के लिए दबाव डालने की अनुमति दें। नियम का पहला भाग आवेदक के लिए जिम्मेदार स्थिति से संबंधित है, और दूसरा एक न्यायिक कार्रवाई से संबंधित है जो स्पष्ट रूप से गलत है या जिस पर दो निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। उनमें से कोई भी विवाद की पुनः सुनवाई का अनुमान नहीं लगाता है क्योंकि एक पक्ष ने मामले के सभी पहलुओं को उजागर नहीं किया था या शायद उन्हें अधिक बलपूर्वक तर्क दे सकता था और/या अदालत के लिए बाध्यकारी उदाहरणों का हवाला दे सकता था और इस तरह एक अनुकूल निर्णय का आनंद ले सकता था। यह आदेश 47 के नियम 1 के स्पष्टीकरण से स्पष्ट है जिसमें कहा गया है कि तथ्य यह है कि निर्णय [2020] 11 एस. सी. आर.

कानून के उस प्रश्न पर, जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित है, किसी अन्य मामले में उच्च न्यायालय के बाद के निर्णय द्वारा उलट दिया गया है या संशोधित किया गया है, ऐसे निर्णय की समीक्षा के लिए आधार नहीं होगा। जहां विचाराधीन आदेश अपील योग्य है, पीड़ित पक्ष के पास पर्याप्त और प्रभावी उपाय है और अदालत को अपने आदेश की समीक्षा करने की शक्ति का प्रयोग सबसे अधिक सावधानी के साथ करना चाहिए।

30. अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम। अरिबम पिशक शर्मा

(सुप्रा) इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पारित आदेश की समीक्षा करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति के दायरे पर विचार किया, जिसे शिवदेव सिंह बनाम में पहले के निर्णय के लिए संदर्भित किया गया था। पंजाब राज्य (सुप्रा) और कहा गयाः (अरिबम तुलेश्वर मामला (सुप्रा), एस. सी. सी. पी. 390 , पैरा 3) " 3. ..... यह सच है जैसा कि इस न्यायालय ने शिवदेव सिंह बनाम में कहा है। पंजाब राज्य (ऊपर), संविधान के अनुच्छेद 226 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उच्च न्यायालय को समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने से रोक सके जो पूर्ण अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक न्यायालय में -

न्याय की विफलता को रोकने या उसके द्वारा की गई गंभीर और स्पष्ट त्रुटियों को सुधारने के लिए। लेकिन, अभ्यास की निश्चित सीमाएँ हैं।

गुण। वह अपील न्यायालय का प्रांत होगा। समीक्षा की शक्ति को अपीलीय शक्तियों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए जो अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सभी प्रकार की त्रुटियों को सुधारने में सक्षम बनाना।

31. के. अजीत बाबू बनाम। भारत संघ, (1997) 6 एस. सी. सी. 473 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही आदेश 47 नियम 1 न्यायाधिकरणों पर सख्ती से लागू नहीं होता है, लेकिन उसमें निहित सिद्धांतों को होना चाहिएः

उनके लिए विस्तारित, अन्यथा समीक्षा की शक्ति पर कोई सीमा नहीं होगी और निर्णय की कोई निश्चितता या अंतिमता नहीं होगी। गोपबंधु बिस्वाल में थोड़ा अलग दृष्टिकोण व्यक्त किया गया था। वी. कृष्ण चंद्र मोहंती (1998) 4 एस. सी. सी. 447)।

उस मामले में श्री राम साहू (मृत) एलआरएस के माध्यम से। वी. विनोद कुमार रावत [एम. आर. शाह, जे.]

यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायाधिकरणों को दी गई समीक्षा की शक्ति आदेश 47 नियम 1 के तहत दीवानी न्यायालय की शक्ति के समान है।

32. अजीत कुमार रथ बनाम। उड़ीसा राज्य (1999) 9 एस. सी. सी. 596, इस न्यायालय ने दोहराया कि समीक्षा की शक्ति में निहित है

न्यायाधिकरण एक दीवानी अदालत को दिए गए न्यायाधिकरण के समान है और यह अभिनिर्धारित किया गया हैः (एस. सी. सी पी. 608 , पैरा 30-31)

" 30. ऊपर निकाले गए प्रावधानों से संकेत मिलता है कि

न्यायाधिकरण को उपलब्ध समीक्षा वही है जो आदेश 47 सी. पी. सी. के साथ पठित धारा 114 के तहत अदालत को दी गई है। शक्ति निरपेक्ष नहीं है और आदेश 47 में बताए गए प्रतिबंधों द्वारा सुरक्षित है। नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज पर किसी व्यक्ति के आवेदन पर शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, जो उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद, उसके ज्ञान में नहीं था या उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब आदेश दिया गया था। रिकॉर्ड के सामने दिखाई देने वाली किसी गलती या त्रुटि के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से भी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। समीक्षा का दावा नहीं किया जा सकता है या केवल एक नई सुनवाई या तर्क या पहले लिए गए गलत दृष्टिकोण के सुधार के लिए नहीं कहा जा सकता है, अर्थात, समीक्षा की शक्ति का उपयोग केवल कानून या तथ्य की पेटेंट त्रुटि के सुधार के लिए किया जा सकता है जो इसे स्थापित करने के लिए किसी विस्तृत तर्क की आवश्यकता के बिना चेहरे पर घूरता है। यह बताया जा सकता है कि

33. हरियाणा राज्य में बनाम। एम. पी. मोहला, (2007) 1 एस. सी. सी. 457 इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः (एससीसी पीपी। 465-66 , पैरा 27) " 27. यहाँ अपीलार्थियों द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका विचारणीय नहीं थी। चेहरे पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं थी

रिकॉर्ड करें। किसी निर्णय के प्रभाव पर कार्रवाई के बाद के कारण को ध्यान में रखते हुए एक अलग कार्यवाही में नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है जो उत्पन्न हो सकता है लेकिन यह अपने आप में समीक्षा के लिए आवेदन दायर करने का आधार नहीं हो सकता है।

34. गोपाल सिंह बनाम। राज्य संवर्ग वन अधिकारी संघ। , (2007) 9 एस. सी. सी. 369 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मूल को अस्वीकार करने के बाद

अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन में, न्यायाधिकरण के लिए अपने आदेश की समीक्षा करने और अपीलार्थी के संशोधन की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं था। उस निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं: (एस. सी. सी पी. 387, पैरा 40)

" 40. राज्य के विद्वान वकील ने यह भी बताया कि न्यायाधिकरण की ओर से अपने फैसले की समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के बाद भी

न्यायाधिकरण के फैसले में हमें पूरे फैसले में एक भी कारण नहीं मिला कि समीक्षा कैसे उचित थी और किन कारणों से। अभिलेख के चेहरे पर कोई स्पष्ट त्रुटि इंगित नहीं की गई थी, न ही इस पर चर्चा की गई थी। इस प्रकार न्यायाधिकरण अपने स्वयं के निर्णय पर एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में बैठ गया। यह पूरी तरह से था

अस्वीकार्य और हम उच्च न्यायालय (सिन्हा, जे.) से सहमत हैं कि न्यायाधिकरण ने अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा के नाम पर दूसरा आदेश लिखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर यात्रा की है। वास्तव में अपीलार्थी के विद्वान वकील ने हमें इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर संबोधित नहीं किया

पहलू "।

35. निरस्त किए गए निर्णयों से जिन सिद्धांतों को निकाला जा सकता है, वे हैं:

(i) अधिनियम की धारा 22 (3) (च) के तहत अपने आदेश/निर्णय की समीक्षा करने की न्यायाधिकरण की शक्ति आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के साथ पठित धारा 114 के तहत दीवानी अदालत की शक्ति के समान/अनुरूप है।

((ii) न्यायाधिकरण आदेश 47 नियम 1 में उल्लिखित आधारों में से किसी एक पर अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और अन्यथा नहीं।

(iii) आदेश 47 नियम 1 में दिखाई देने वाली "कोई अन्य पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति की व्याख्या अन्य निर्दिष्ट आधारों के आलोक में की जानी चाहिए।

(iv) एक त्रुटि जो स्वतः स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की एक लंबी प्रक्रिया द्वारा खोजा जा सकता है, उसे धारा 22 (3) (च) के तहत शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराते हुए रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(v) समीक्षा की शक्ति के प्रयोग की आड़ में एक गलत आदेश/निर्णय को ठीक नहीं किया जा सकता है।

श्री राम साहू (मृत) एल. आर. एस. के माध्यम से। वी. विनोद कुमार रावत [एम. आर. शाह, जे.]

(vi) किसी निर्णय/आदेश की समीक्षा धारा 22 (3) (च) के तहत किसी समन्वय के बाद के निर्णय/निर्णय के आधार पर नहीं की जा सकती है या

न्यायाधिकरण या किसी उच्चतर न्यायालय की बड़ी पीठ।

(vii) समीक्षा के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, न्यायाधिकरण

अपने निर्णय को उस सामग्री के संदर्भ में सीमित करना चाहिए जो

प्रारंभिक निर्णय के समय उपलब्ध था। होने वाली घटना

बाद की किसी घटना या विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है।

प्रारंभिक आदेश/निर्णय को त्रुटि से दूषित घोषित करने के लिए जाहिर है।

(viii) केवल नए या महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज

यह भी दिखाने के लिए कि ऐसा मामला या साक्ष्य इसके दायरे में नहीं था ज्ञान और उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद भी, इसे पहले अदालत/न्यायाधिकरण के समक्ष पेश नहीं किया जा सका।

9. समीक्षा के दायरे की सराहना करने के लिए, इस न्यायालय के लिए धारा 114 सी. पी. सी. के उद्देश्य और दायरे पर चर्चा करना उचित होगा क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद पर विचार करता है तो यह समीक्षा के लिए एक ठोस प्रावधान है।

या तो किसी डिक्री या न्यायालय के किसी आदेश से व्यथित है जिससे अपील की अनुमति है लेकिन कोई अपील नहीं की जाती है या जहां किसी आदेश और डिक्री के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है, वह डिक्री या आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है जैसा कि मामला न्यायालय में हो, जो डिक्री का आदेश या पारित कर सकता है। धारा 114 सी. पी. सी. के खाली पढ़ने से, यह प्रतीत होता है कि धारा 114 सी. पी. सी. के तहत समीक्षा की उक्त मूल शक्ति ने समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में पूर्ववर्ती शर्त के रूप में कोई शर्त नहीं रखी है और न ही उक्त धारा ने न्यायालय पर अपने निर्णय की समीक्षा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई निषेध लगाया है। तथापि, न्यायालय द्वारा आदेश की समीक्षा केवल आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. में उल्लिखित निर्धारित आधारों पर की जा सकती है, जिस पर यहाँ ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है। पुनरीक्षण के लिए आवेदन एक अपील की तुलना में अधिक प्रतिबंधित है और पुनरीक्षण न्यायालय के पास आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. में उल्लिखित निश्चित सीमा के रूप में सीमित अधिकार क्षेत्र है। समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग एक अंतर्निहित शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता है और न ही समीक्षा की शक्ति की आड़ में एक अपीलीय शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

10. उपरोक्त स्थिर स्थिति के आलोक में माना जाता है, हम

पता लगाएँ कि उच्च न्यायालय ने आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत न्यायालय में निहित अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से पार कर लिया है। समीक्षा के उद्देश्य से आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत परिकल्पित कोई आधार नहीं बनाया गया है।

पैरा 20 में की गई टिप्पणियाँ। यह ध्यान देने योग्य है और स्पष्ट रूप से [2020] 11 एस. सी. आर.

पैरा 20 से, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य के मूल्यांकन पर, विशेष रूप से वादी (पीडब्लू1) और उसके गवाह पीडब्लू2 के बयान के मूल्यांकन पर, वादी के कब्जे के संबंध में पैरा 20 में टिप्पणियां कीं और साक्ष्य के मूल्यांकन पर, उच्च न्यायालय ने पाया कि वादी उक्त घर के वास्तविक कब्जे में है। अतः जब वादी के कब्जे के संबंध में अवलोकन रिकॉर्ड पर साक्ष्य/सामग्री के मूल्यांकन पर किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्यवाही के सामने एक स्पष्ट त्रुटि थी जिसकी आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत शक्तियों के प्रयोग में समीक्षा करने की आवश्यकता थी। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी कब्जे में वादी के संबंध में पैरा 20 में टिप्पणियां करते समय इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि प्रतिवादी संख्या। 1 और 2-यहाँ उत्तरदाताओं ने स्वयं 2012 का आई. ए. No.1267 होने का आवेदन दायर किया जो अपीलार्थियों से विवादित घर का कब्जा प्राप्त करने के लिए सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत दायर किया गया था और उक्त आवेदन को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि प्रतिवादी संख्या के अनुसार भी। 1 & 2 अपीलार्थी विवादित घर के कब्जे में थे। इसलिए, तथ्य की स्थिति के आलोक में, उच्च न्यायालय ने आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैरा 20 को हटाने में स्पष्ट रूप से गलती की है, विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून की तय की गई पूर्व स्थिति के आलोक में।

11. अब जहाँ तक उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत करने की बात है-मूल प्रतिवादी संख्या। 1 & 2 और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण

पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार करते हुए और पैरा 20 को हटाते हुए कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा कब्जे के संबंध में कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था और/या विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष इस संबंध में कोई मुद्दा नहीं था

कब्जा और इसलिए वादी-अपीलार्थी के कब्जे के संबंध में पैरा 20 में की गई टिप्पणियां अनुचित थीं और इसलिए, उन्हें सही ढंग से हटा दिया गया था, सबसे पहले उपरोक्त आधार पर आदेश 47 नियम 1 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। अधिक से अधिक, पैरा 20 में की गई टिप्पणियों को गलत निर्णय कहा जा सकता है, हालांकि इसके नीचे बताए गए कारणों को गलत निर्णय नहीं कहा जा सकता है और जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, उक्त टिप्पणियाँ अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर की गई थीं, उपरोक्त आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का आधार नहीं हो सकता है। 11.1 . अन्यथा भी कब्जे के संबंध में मुद्दे को तैयार न करने का कोई असर नहीं होगा और/या यह महत्वहीन हो जाएगा।

यह एल. आर. एस. के माध्यम से श्री राम साहू (मृत) हैं। वी. विनोद कुमार रावत [एम. आर. शाह, जे.]

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सम्मान के साथ आवश्यक अभिवचन थे

वाद में और साथ ही लिखित कथन में कब्जा करने के लिए। यहां तक कि पक्षों ने भी कब्जे पर सबूत का नेतृत्व किया। मूल वादी-अपीलार्थी ने अपने कब्जे को दिखाने के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ साक्ष्य का नेतृत्व किया और इसके लिए, प्रतिवादियों द्वारा कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई। प्रतिवादी-उत्तरदाताओं ने अपने कब्जे को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। इसलिए, पक्षकार प्रतिद्वंद्वी मामलों से अवगत थे। अभिवचनों के समग्र और व्यापक अध्ययन और पीडब्लू1 और पीडब्लू2 के बयान पर, यह अपरिहार्य है कि वादी ने उद्देश्यपूर्ण रूप से, प्रत्यक्ष रूप से और स्पष्ट रूप से अपनी दलीलों में अधिकार का सवाल उठाया। जैसा कि लिखित बयान में भी ऊपर देखा गया है, प्रतिवादियों ने कब्जे के संबंध में भी एक कथन किया। इस प्रकार

न तो पूर्वाग्रह पैदा किया गया था और न ही यह कहा जा सकता है कि मुद्दे को तैयार करने के अभाव में कार्यवाही को दूषित किया गया था। जैसा कि इस न्यायालय ने श्री गंगई विनयगर मंदिर बनाम मीनाक्षी के मामले में देखा और अभिनिर्धारित किया।

अम्मल और अन्य, (सुप्रा), यदि पक्षकार प्रतिद्वंद्वी मामलों से अवगत हैं, तो औपचारिक रूप से मुद्दे को तैयार करने में विफलता महत्वहीन हो जाती है जब बिना किसी आक्षेप के व्यापक साक्ष्य दर्ज किया जाता है। यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां कि विद्वत विचारण न्यायालय और/या उच्च न्यायालय के समक्ष भी कब्जे के संबंध में कोई मुद्दा नहीं था, सही नहीं है। जैसा कि वाद में अभिवचनों में और यहां तक कि प्रतिवादियों द्वारा दायर लिखित बयान में भी देखा गया है, कब्जे के संबंध में आवश्यक अभिकथन थे। यहां तक कि पक्षों ने भी कब्जे पर सबूत का नेतृत्व किया।

12. इसलिए, विवादित आदेश में बताए गए आधारों पर, उच्च न्यायालय समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पर्याप्त नहीं हो सकता था और न्यायसंगत कारणों से अपने स्वयं के निर्णय और आदेश की समीक्षा की और कब्जे के संबंध में पैरा 20 में की गई टिप्पणियों को हटा दिया।

13. अन्यथा भी सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है।

अपीलार्थियों का अधिकार यहाँ/मूल वादी को दिखाएँ। अपील के लंबित रहने के दौरान उत्तरदाता-मूल प्रतिवादी संख्या। 1 और 2 ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज करने और अपीलार्थी-मूल वादी को वाद संपत्ति को खाली करने का निर्देश देने के लिए धारा 151 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर किया। 19.03.2012 पर दायर उक्त आवेदन में उत्तरदाता-मूल प्रतिवादी संख्या। 1 & 2 कभी यह नहीं कहा कि विवादित सूट हाउस पर उनका कब्जा है। इसके विपरीत, उन्होंने अपीलकर्ताओं-मूल वादी को मुकदमे की संपत्ति खाली करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए प्रार्थना की। किसी भी कारण से उक्त आवेदन [2020] 11 एस. सी. आर. था।

वापस ले लिया। अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ताओं ने सी. पी. सी. के आदेश 6 नियम 17 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादियों को रोकने वाले स्थायी निषेधाज्ञा के मुद्दे के संबंध में राहत खंड में संशोधन की मांग की। 1 और 2 अपीलार्थियों को विवादित सदन से जबरन बेदखल करने से। उक्त आवेदन का प्रतिवादियों-मूल प्रतिवादियों द्वारा विरोध किया गया था। यह. प्रस्तुत किया गया था कि प्रस्तावित अभिकथन अपीलीय चरण में आवश्यक नहीं है क्योंकि आवेदन में कोई अभिकथन नहीं किया गया है कि इस तरह की प्रार्थना देर से क्यों मांगी जाती है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि यदि इस दौरान

वाद के लंबित होने पर वादी को न तो धमकी दी गई है और न ही उपरोक्त संपत्ति से बेदखल करने की मांग की गई है, अपीलीय स्तर पर ऐसी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन को गुण-दोष के आधार पर नहीं बल्कि इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसे देर से प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने उक्त को खारिज कर दिया

प्रतिवादियों के खिलाफ उपरोक्त राहत के लिए एक अलग मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ आवेदन। 13.1 . इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पहली अपील के निपटारे की तारीख से लगभग तीन साल की अवधि के बाद

16.04.2005 उच्च न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा आवेदन में पारित दिनांक 14.07.2017 के विवादित आदेश के बाद, प्रतिवादी संख्या। 1 और यहाँ 2 प्रत्यर्थियों ने वास्तव में विवादित घर का कब्जा और मुआवजा प्राप्त करने के लिए यहाँ अपीलार्थियों के खिलाफ विद्वान सिविल न्यायाधीश, कक्षा I, ग्वालियर के न्यायालय में एक अलग मुकदमा दायर किया, जिसमें अपीलार्थियों का कब्जा स्वीकार किया गया है। उक्त मुकदमे में, यह दलील दी गई है कि वादी ने उक्त प्रतिवादियों-अपीलार्थियों को 09.08.2017 पर अधिवक्ता के माध्यम से एक कानूनी नोटिस भेजा है और विवादित स्थान को खाली करने की मांग की है, लेकिन खाली नहीं किया है और विवादित स्थान का कब्जा सौंप दिया है। 14. उपरोक्त चर्चा का सार और सार यह है कि उच्च न्यायालय ने समीक्षा आवेदन की अनुमति देने में गंभीर त्रुटि की है

और आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के साथ पठित धारा 114 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम अपील संख्या 17.04.2005 में पारित अपने आदेश दिनांक 10.12.2013 के पैरा 20 में की गई टिप्पणियों को हटा देना। इसके तहत

परिस्थितियों में विवादित आदेश अस्थिर है और रद्द किए जाने और अलग किए जाने के योग्य है।

15. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए,

अपील की अनुमति है। ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका में पारित उपरोक्त विवादित आदेश दिनांक 14.07.2017 2005 की पहली अपील No.241 में 2015 की No.465 को इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है और श्री राम साहू (मृत) LRS के माध्यम से।

वी. विनोद कुमार रावत

[एम. आर. शाह, जे.]

2005 की प्रथम अपील No.241 में पारित निर्णय और आदेश 10.12.2013 के पैरा 20 को अलग कर दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप पुनर्स्थापित किया जाता है।

कोई लागत नहीं।

अंकित ज्ञान